

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 289 / 14
 संस्थापन दिनांक:-16 / 05 / 14
 फाईलिंग नं. 233504000552014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

रमेश पिता कुंजीलाल पवार
 उम्र 45 वर्ष, निवासी तोरणवाड़ा,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 20.02.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 08.05.2014 को समय शाम 05:00 बजे या उसके लगभग प्रार्थीया के खेत के पास ग्राम तोरणवाड़ा थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी रामरती पवार और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी रामरतीबाई को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी रामरती को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिन्नास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 08.05.2014 को उसके खेत गेहूं देखने गयी थी। तभी अभियुक्त ने उसे खेत में क्यों आयी कहकर गंदी गंदी गालियां दी। फरियादी द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसके बाल पकड़कर उसे हाथ थप्पड़ से मारपीट किया जिससे उसे बांये हाथ, दाहिने हाथ की कलाई, पीठ, सिर एवं बदन में अंदरूनी चोटें आयी। अभियुक्त ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 327 / 14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी रामरतीबाई को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
5. क्या ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
6. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
7. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 06 का निराकरण

5 रामरती (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसे गाली गलौच की थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त द्वारा फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

6 साक्षी/फरियादी रामरती (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों

में अभियुक्त द्वारा गाली गलौच दी जाना बताया है परंतु साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 अभियुक्त द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04 एवं 05 का निराकरण

8 रामरती (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने लकड़ी या हाथ मुक्के से मारा था जिससे उसे हाथ, पैर, पीठ में चोट आयी थी।

9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-4) ने दिनांक 08.05.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत रामरती का परीक्षण किये जाने पर आहत की दोनों अग्रभुजा पर 3 गुणा 1 गुणा 2, 1 गुणा, 2 गुणा 1 खरोच के निशान के साथ पीठ में दर्द पाया था। साक्षी ने उक्त चोट कड़े एवं बोथरे हथियार से आना प्रकट करते हुए चिकित्सकीय रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-2) को प्रमाणित भी किया है।

10 जी.पी. रम्भारिया (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 09.05.2014 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 327/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-4) एवं दिनांक 09.05.2014 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-5) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।

11 बचाव अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। उभयपक्ष के मध्य पूर्व से जमीनी विवाद है। ऐसी स्थिति में अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित

होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में दिनेश (अ.सा.-1) जो कि फरियादी का पुत्र है उसने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। अतः अभियोजन का उपर्युक्त साक्षी की साक्ष्य से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

13 अभिलेख पर मात्र आहत/फरियादी रामरती की साक्ष्य उपलब्ध है जिसके कथनों से यह देखा जाना है कि क्या उसके कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जोसेफ विरुद्ध केरल राज्य (2003) 1 एससीसी 465** के न्याय दृष्टांत में यह न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि — *एकमात्र साक्षी की साक्ष्य भी यदि पूरी तरह विश्वसनीय पायी जाती है तो उस पर दोषसिद्ध स्थिर की जा सकती है, अवलोकनीय है।*

14 रामरती (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना उसके खेत में शाम 5 बजे की है। वह घटना के समय कच्चे आम और पपीता तोड़ रही थी। तभी अभियुक्त आया और गला दबाकर घर के अंदर ले गया और घर के अंदर मारपीट किया। साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि अभियुक्त ने उसे लकड़ी या हाथ मुक्के या किसी से मारा था जिससे उसे हाथ पैर और पीठ में चोट आयी थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 02 में साक्षी ने यह बताया है कि वह घटना के समय बेहोश थी उसे होश नहीं आया था। पैरा क्र. 03 में साक्षी ने खेती पर से अभियुक्त से विवाद होना बताया है। इसी पैरा में साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने पुलिस को हाथ थप्पड़ से और बाल खींचने वाली बात नहीं बतायी थी और यह भी नहीं बताया था कि अभियुक्त ने उससे यह कहा था कि खेत पर क्यों आयी है।

15 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 08.05.2014 को फरियादी अपने खेत पर गेहूं देखने गयी थी तभी अभियुक्त से विवाद हुआ और अभियुक्त ने उसे बाल पकड़कर हाथ थप्पड़ से मारपीट किया। जबकि न्यायालयीन परीक्षण में साक्षी ने अतिशयोक्तिपूर्ण कथन करते हुए अभियुक्त के द्वारा लकड़ी या हाथ मुक्के से मारपीट करना बताया है तथा अभियुक्त द्वारा घर के अंदर ले जाकर घर के अंदर मारपीट करना बताया है। फरियादी के चिकित्सकीय परीक्षण में उसे दोनों हाथों की कलाई में मात्र खरोच के निशाने पाये गये हैं। यदि अभियुक्त के द्वारा फरियादी के साथ लकड़ी या हाथ मुक्के से मारपीट की जाती तब आहत को मात्र खरोच आये ऐसा अस्वाभाविक प्रतीत होता है। साथ ही घटना की रिपोर्ट फरियादी के द्वारा लगभग दो घंटे के बाद

लेख करायी गयी है। फरियादी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह तीन छंटे तक अपने खेत पर बेहोश पड़ी रही और यह भी बताया कि जब पुलिस वालों ने उससे पूछताछ की तब उसने पुलिस को यह बताया था कि वह बेहोश थी उसे घटना के बारे में नहीं मालूम। इस प्रकार साक्षी अतिशयोक्तिपूर्ण कथन करने के साथ-साथ अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। फरियादी के कथनों का समर्थन स्वयं उसके पुत्र दिनेश (अ.सा.-1) के द्वारा भी नहीं किया गया है। उभयपक्ष के मध्य रंजिश का तथ्य स्थापित है। तब इन दशाओं में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 07 का निराकरण

16 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी रामरती पवार और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी रामरतीबाई को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी रामरती को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त रमेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

17 अभियुक्त के जमानत मुचलके 437-ए द.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

18 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)